कृषक उधार अधिनियम, 1884

(1884 का अधिनियम संख्यांक 12)[1]

[24 जुलाई, 1884]

उत्तरी भारत तकावी अधिनियम, 1879 को संशोधित करने और उसके विस्तारण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यत: उत्तरी भारत तकावी अधिनियम, 1879 (1879 का 10) को संशोधित करने और [2][कतिपय अन्य क्षेत्रों] पर उसके विस्तारण के लिए उपबंध करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक उधार अधिनियम, 1884 है; और

(2) **प्रारम्भ**—यह 1884 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. स्थानीय विस्तार—(1) इस धारा का [3][विस्तार उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो पहली नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, सम्पूर्ण भारत पर है]।

[4][(2) इस अधिनियम के शेष भाग का विस्तार प्रथमत: केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रान्त, असम और दिल्ली तथा ऐसे राज्यक्षेत्रों पर है, जो पहली नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व मुंबई, पंजाब और अजमेर राज्यों में समाविष्ट थे।]

(3) परन्तु कोई राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के शेष भाग को अपने प्रशासन के अधीन [5][जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है उन सम्पूर्ण राज्यक्षेत्रों पर] या उनके किसी भाग पर विस्तारित कर सकेगी।

3. [1879 के अधिनियम सं० 10 और 1880 के अधिनियम सं० 15 की धारा 4 और 5 का निरसन—रिपीलिंग ऐक्ट, 1938 (1838 का 1) की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित।]

4. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार [6][या, ऐसे किसी राज्य में, जिसमें राजस्व बोर्ड या वित्तीय आयुक्त है, ऐसा बोर्ड या वित्तीय आयुक्त, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए,] समय-समय पर, [7]*** कष्ट की राहत, बीज या पशु की खरीद या भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) में अविनिर्दिष्ट किन्तु कृषक-उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए कृषक भूमि के स्वामियों और अधिभोगियों को दिए जाने वाले उधारों के बारे में नियम बना सकेगा।

(2) ऐसे सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

[8][(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या राजस्व बोर्ड या वित्तीय आयुक्त द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

---

[1] यह अधिनियम—

1947 के सी० पी० एण्ड बरार ऐक्ट, 34 और 1949 के सी० पी० एण्ड बरार ऐक्ट 54 द्वारा मध्य प्रान्त और बरार में;

1936 के कुर्ग ऐक्ट 3 द्वारा कुर्ग में;

1935 के मद्रास ऐक्ट 16 द्वारा मद्रास में;

1937 के उड़ीसा ऐक्ट 6 द्वारा, उड़ीसा में;

1922 के यू० पी० ऐक्ट 12, 1934 के यू० पी० ऐक्ट 12 और 1948 के यू० पी० ऐक्ट 12 द्वारा संयुक्त प्रान्त में; और

1958 के मुम्बई अधिनियम 27 द्वारा मुम्बई में,

संशोधित किया गया।

इस अधिनियम का विस्तार, 1958 के मुम्बई अधिनियम 27 द्वारा हैदराबाद और मुम्बई राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र पर, 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर, 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, उपान्तरणों सहित, गोवा, दमण और दीव पर, और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया।

इस अधिनियम का, जिस रूप में कि वह इस समय गुजरात राज्य में प्रवृत्त है, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर सा० का० नि० 1638 तारीख 3-12-1992 द्वारा विस्तार किया गया।

1961 के केरल अधिनियम 27 द्वारा केरल के मालाबार जिले पर लागू होने से अधिनियम निरसित किया गया।

[2] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "अन्य भाग क राज्यों या भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "और धारा 3 भाग ख राज्यों को छोड़कर पूरे भारत पर विस्तारित है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "राज्यक्षेत्रों पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा अंत:स्थापित।

[7] 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन" शब्द निरसित।

[8] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

5. उधार की वसूली—ऐसे नियमों के अनुसार दिया गया प्रत्येक उधार, उस पर प्रभार्य सभी ब्याज (यदि कोई हो), और उसे देने में या उसे वसूल करने में उपगत खर्च (यदि कोई हो), जब वे शोध्य हों, उस व्यक्ति से, जिसे उधार दिया गया था, या ऐसे किसी व्यक्ति से, जो उसके प्रति संदाय के लिए प्रतिभू हो गया है, इस प्रकार वसूलीय होगा मानो वे उस व्यक्ति से, जिसे उधार दिया गया था, या उसके प्रतिभू से शोध्य भू-राजस्व या उसे वसूल करने में उपगत व्यय की बकाया हो ।

6. संयुक्त उधार लेने वालों का आपस में दायित्व—जब इस अधिनियम के अधीन किसी ग्राम समाज के सदस्यों को या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को ऐसी शर्तों पर उधार दिया गया है कि उसके बारे में संदेय पूरी रकम के संदाय के लिए वे सब संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से सरकार के प्रति आबद्ध हैं और उस रकम के ऐसे प्रभाग को दर्शित करने वाला विवरण, जो आपस में अभिदाय करने के लिए प्रत्येक आबद्ध है, उधार अनुदत्त करने वाले आदेश में प्रविष्ट किया गया है और उनमें से प्रत्येक द्वारा या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा और उस आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, चिह्नित या मुद्रांकित किया गया हो, तब वह विवरण उस रकम के ऐसे प्रभाग के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगा जो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आपस में अभिदाय करने के लिए आबद्ध है ।

———